सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 18, मंगलवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 10, 2023 *Asvina 18, Tuesday , Saka 1945- October 10, 2023*	

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 10, 2023

संख्या डी–162 एफ. 8(2)(25)निर्वा/2023:– भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की निम्न अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

प्रवीण गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 52/2023/एसडीआर/खंड-I दिनांक:10 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड(ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक नि:शक्तता (बेंचमार्क) वाले निर्वाचक, जिन्हें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले से ही चिह्नित/इंगित किया गया हो, और जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-।।।क, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. सं. 3786 (अ.) दिनांक 22 अक्तूबर, 2019 एवं का. आ. सं. 3778 (अ.) दिनांक 23 अगस्त, 2023 और इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के जरिए यथा-संशोधित, के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित होने वाले मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन और नागालैंड के 43-तापी (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

आदेश से,

एस.बी. जोशी
प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.52/2023/SDR/Vol.I Dated: 10th October, 2023

NOTIFICATION

In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the elector above the age of 80 years and elector with physical disability (benchmark) as already marked/flagged in the data base of the electoral rolls of the State and, who requests for voting by postal ballot paper and subject to the verification of his request by Returning Officer concerned, would be a class of persons to give his vote by postal ballot in the ongoing **general elections to the Legislative Assemblies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan & Telangana and bye election in 43-Tapi (ST) Assembly Constituency of Nagaland,** to be notified under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-IIIA of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 3786(E), dated 22nd October, 2019, and SO No.3778(E), dated 23rd August, 2023.

By Order,

S.B.JOSHI,
Principal Secretary.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।